को आदिवासी परिवार कल्याण सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिक धन प्रदान करने और उन्हें संशोधित क्षेत्र विकास एजेंसी कार्यक्रम से संबंधित योजना के अन्तर्गत लाने के लिये कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

अंधे, बहरे, मूक, अपंग, वृद्ध और निस्सहाय व्यक्तियों के लिए गृह

8493. **श्री दिलीप सिंह जूदेव :** क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जुलाई, 1994 की स्थिति के अनुसार देश में राज्य वार अंधे, बहरे, मूक, अपंग, वृद्ध और निस्सहाय व्यक्तियों के लिये कितने आश्रम स्थापित किये गये है ;

(ख) राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 1991-92 से 1994-95 तक इन आश्रमों पर राज्यवार कुल कितनी धन-राशि खर्च की गई है ;

(ग) इन आश्रमों में किन-किन सुविधाओं का अभाव है ; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों ने इस अवधि के दौरान इन आश्रमों की दशा सुधारने और सुविधा सम्बन्धी अभावों को दूर करने हेतु कोई समीक्षा की है, यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और इन कठिनाईयों को दूर करने की दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) कल्याण मंत्रालय दृष्टिहीन, बधिर, मूक और विकलाँग व्यक्तियों के लिए गृहों की स्थापना नहीं करता । तथापि, विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए स्वयंसेवी संगठनों को निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत अनुदान दिए जाते हैं :—

(1) विकलांग व्यक्तियों के लिए संगठनों को सहायता ;

(2) विशेष विद्यालयों की स्थापना के लिए संगठनों को सहायता ;

(3) कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्तियों के पुर्नवास के लिए संगठनों को सहायता ।

देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के कल्याण संबंधी योजना, जिसके अंतर्गत अनाथालयों को अनुदान दिए जाते हैं, दिनांक 1.4.92 से राज्य सरकारों को हस्तांतरित की जा चुकी हैं। 1991-92 से 1994-95 के दौरान अनाथालयों की संख्या और वहन किए गए व्यय से संबंधित सूचना राज्य सरकारों में एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी । वयोवृद्धों के कल्याण की योजना के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को वृद्धावस्था गृहों की स्थापना के लिए अनुदान दिए जाते हैं ।

1991-92 से 1994-95 तक वृद्धावस्था गृहों और वहन किए गए व्यय की राज्यवार सूची विवरण 1 और 2 में दी गई है ।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(घ) जी, नही ।

विवरण I

1994–95 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वृद्धावस्था गृहों, दिवा देखभाल केन्द्रों, सचल चिकित्सा एककों तथा गैर-संस्थागत सेवाओं की संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वृद्धावस्था गृह	दिवा देखभाल केन्द्र	सचल चिकित्सा एकक
1.	आंध्र प्रदेश	68	45	11
2.	असम	1	1	—
3.	बिहार	2	—	—
4.	गुजरात	1	1	—
5.	हरियाणा	3	8	—
6.	हिमाचल प्रदेश	—	1	1
7.	कर्नाटक	10	—	
8.	केरल	3	2	
9.	मध्य प्रदेश	7	3	—
10.	महाराष्ट्र	4	7	—
11.	मणिपुर	9	17	—
12.	उड़ीसा	23	28	1
13.	पंजाब	—	1	—
14.	राजस्थान	—	4	1
15.	तमिलनाडु	22	30	7
16.	त्रिपुरा	2	6	—
17.	उत्तर प्रदेश	30	47	—
18.	पश्चिम बंगाल	23	34	4
19.	दादर एवं नगर हवेली	—	—	—
20.	दिल्ली	—	1	2
21.	पांडिचेरी	1	—	—
		209	236	29

विवरण-II

वर्ष 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान वयोवृद्धों से संबंधित कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना के तहत/राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त राशि को दर्शाने वाला विवरण

(रु० लाख में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	संस्वीकृत धनराशि		
		1992-93	1993-94	1994-95
1.	आन्ध्र प्रदेश	26.50	60.84	145.52
2.	असम	0.75	2.10	2.38
3.	बिहार	0.36	4.50	3.36
4.	गुजरात	—	0.97	3.35
5.	हरियाणा	3.60	5.37	10.76
6.	हिमाचल प्रदेश	0.15	0.37	1.28
7.	कर्नाटक	2.53	3.08	11.00
8.	केरल	0.23	—	4.77
9.	महाराष्ट्र	2.69	4.17	7.17
10.	मध्य प्रदेश	4.34	1.44	9.71
11.	मणिपुर	5.85	22.73	17.45
12.	उड़ीसा	21.25	41.10	63.84
13.	पंजाब	0.13	0.73	0.60
14.	राजस्थान	2.25	2.17	4.56
15.	तमिलनाडु	18.45	43.04	57.34
16.	त्रिपुरा	5.86	7.27	16.31
17.	उत्तर प्रदेश	5.94	49.61	79.82
18.	पश्चिम बंगाल	32.52	51.96	82.91
19.	दिल्ली	13.32	4.37	5.57
20.	पांडिचेरी	1.95	—	0.62
21.	दादर एवं नगर हवेली	—	—	0.18

* 1992-93 में योजना शुरु की गई थी ।